न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:– 25/2018 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर (लैण्ड होल्डर)

बनाम .....**प्रार्थी**

1. भरतसिंह
2. वीरेन्द्रसिंह
3. हरेन्द्रसिंह
4. जीतेन्द्रसिंह

} पिसरान गोपालसिंह कौम नाई निवासी रूपवास तहसील रूपवास (भरतपुर)

5. पवन पुत्र मोहन कौम धीमर निवासी रूपवास तहसील रूपवास

.....**अप्रार्थीगण**

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1269 रकवा 0.10 वीघा के विरुद्ध बिना आंबटन के दर्ज गैर खातेदारी/खातेदारी को निरस्त कर सिवाय चक दर्ज करने बाबत।

उपस्थित:–
1–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री राधेश्याम, अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांक:– 22.10.2021

प्रार्थी तहसीलदार रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य का पेश किया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1269 रकवा 0.10 किस्म गैर मुमकिन खान तहसील रुपवास में स्थित है। उक्त आराजी राजकीय खाते की खाता संख्या 01 पर गैर मुमकिन खान पहाडी खड्डं के रुप में दर्ज रिकार्ड रही है। राजस्व रिकार्ड की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जमाबन्दी संवत 2012–2015 के राजकीय खाता संख्या 714 में खसरा नम्बर 1069/9–13 के रुप में रहा है। विवादित भूमि पर बिना नामान्तरकरण के जमाबन्दी संवत 2020 के खाता संख्या 416 पर बुद्धा पुत्र नेनसुख गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड रहा हुआ जो जरिये विरासत हुक्मन उपखण्ड अधिकारी रूपवास व विक्रय नामान्तरकरण संख्या 1016, 1458, 1719, 2450, 2667 से अप्रार्थी संख्या 1 लगायात 5 के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड रहा। उक्त विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित भूमियों में आती है, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है और उस विनियमन व खातेदारी अधिकार देना विधि विरुद्ध है। उक्त भूमि पर खातेदारी प्रभाव शून्य है। उक्त भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटिसन न. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश 02–08–2004 में दिए निर्देशों के अनुसार निरस्त की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक खाते में दजे करने योग्य है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव, जयपुर राजस्थान के लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 11(151)लो,आ.सं./ 2013/15899 दिनांक 20.02.2014 तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी. सिविल रिट पिटिसन नं. 14757/2017, पुरुषोत्तम बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेस प्रकरण प्रेषित है। प्रार्थी तहसीलदार ने अन्त में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1269 रकवा 0.10 बीधा किस्म गैर मुमकिन खान पर दर्ज हुक्मन खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 1016, 1458, 1719, 2450, 2667 आदि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स स्वीकार स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार रुपवास से विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई, प्राप्त मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश किया गया जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शामिल मिसिल किया गया । उभय पक्ष अभिभाषगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी गैर मुमकिन खान है, ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रतिबिन्धत श्रेणी में आती हैं। जिस पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। बिना किसी सक्षम न्यायालय के अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार गलत तरीके से दे दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिसन न. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश की पालना में रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को उक्त आराजी पर गैर मुमकिन पर दर्ज हुक्मन खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 1016, 1458, 1719, 2450, 2667 आदि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स प्रेषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1269 रकवा 0.10 वीघा वाकै ग्राम रूपवास को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 03.01.2008 को अप्रार्थी संख्या 5 व उसके भाई से क्रय किया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 का कब्जा वहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 का नाम व हैसियत खातेदार का इन्द्राज नामान्तरकरण 2667 से हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 5 का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1269 रकवा 0.10 वीघा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से नहीं है। यह खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में जो नामान्तरकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

स्वीकार किये गये है वह कानून की पालना में किये गये है जो निरस्त योग्य नहीं है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने रेफरेन्स को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। जमाबन्दी संवत 2010–2013 में आराजी खसरा नम्बर 1269 रकवा 0.10 वीघा गैरमुमकिन सिवायचक दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2020–2023 में आराजी खसरा नम्बर 1269 रकवा 0.10 वीघा गैर मुमकिन खान दर्ज है एवं कृषक विवरण वाले कॉलम में बुधा बल्द नेनसुख कौम धीमर सा.देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2029–2032 में उक्तानुसार इन्द्राज है। जमाबन्दी संवत 2036–39 में मोहन बनवारी पि. बुधा कौम धीमर गैर खातेदारी के इन्द्राज है। जमाबन्दी संवत 2049–2052 में मोहन पुत्र बुद्धा कौम धीमर गैर खातेदार दर्ज है एवं इसी प्रकार के संवत 2056 तक चले आ रहे है। नामान्तरकरण संख्या 2450 से उक्त आराजी मोहन के वारिसान के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज हुई है एवं वयनामा दिनांक 03.01.2008 के आधार पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1269 रकवा 0.10 वीघा सावित्री बेवा मोहन, राजेश पुत्र मोहन धीमर से 2/3 हिस्सा जरिये नामान्तरकरण संख्या 2667 दिनांक 14.02.2009 को भरतसिंह, वीरेन्द्रसिंह, हरेन्द्रसिंह, जीतेन्द्रसिंह पिस. गोपालसिंह जाति नाई वहिस्सा बराबर सा.देह खातेदार दर्ज हुआ है।

इस प्रकार उपर्युक्त समस्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी खसरा नम्बर 1269 रकवा 0.10 वीघा गैर मुमकिन खान के रूप दर्ज रिकार्ड चला रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों का उल्लेख है जिसमें खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं हो सकते। समस्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभादित भूमि कभी भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं रही है और न ही विवादित भूमि किसी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नदी अथवा नाले के अपवाह क्षेत्र की है। ऐसी स्थिति में रैफरेंस प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अस्वीकार किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)